

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 16/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00017

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा हाल उदयपुर बनाम
(राज)

श्री मांगीलाल कोठारी पुत्र श्री भवरलाल
कोठारी मालिक विक्रेता कोठारी ऑईल फूड
इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं.47 रोड नं.4
इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया बांसवाड़ा,
स्थायी पता - 105-106 कॉमर्शियल
कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा हाल उदयपुर (राज) के द्वारा दिनांक 31-03-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 05-11-2020 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स कोठारी ऑईल फूड इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं.47 रोड नं.4 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मांगीलाल कोठारी पुत्र श्री भवरलाल कोठारी उपस्थित थे। विक्रेता की फैक्ट्री का निरीक्षण करने पर रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) की 1 लीटर वाले 40 कार्टून आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इनमें से एक कार्टून खोलकर निरीक्षण करने पर उनमें रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) की 1 लीटर वाली 20 बोतल मूल ही कम्पनी पैक सीलबन्द स्थिति में जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) की 1 लीटर वाली 4 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में खरीदी तथा इनकी कीमत 412 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तारदीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जाँच हेतु खरीदने वाले रिफाईण्ड

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) की 1 लीटर वाली 4 बोतलो पर फार्म नं.5 ए पर वर्णित सभी जानकारीयों अंकित पायी गयी तथा बोतलो पर ही लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-665 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार नमूना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/296 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 294 दिनांक 12.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) Contravention of Regulation 2.2.2(10) of food safety & standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 01-04-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 04.08.2021 को अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/296 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 294 दिनांक 12.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. डि.ला. ए.ए.ए.ए.)
बॉसवाडा (राज.)

गोल्ड) Contravention of Regulation 2.2.2(10) of food safety & standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड पाया गया है। विक्रेता द्वारा रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (चेतक गोल्ड) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री मांगीलाल कोठारी पुत्र श्री भवरलाल कोठारी मालिक विक्रेता कोठारी ऑईल फूड इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं.47 रोड नं.4 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया बॉसवाडा को रूपये दस हजार मात्र/- (अक्षरे रु. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे। निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नेश बतनगर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. नि. कलकत्ता)
बासवाडा (उम.)